



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर (छ.ग.)
All India Institute of Medical Sciences, Raipur (Chhattisgarh)
Tatibandh, GE Road,
Raipur-492 099 (CG)

AIIMS Raipur

कं./प्रशासन/एम्स रायपुर/2020/1408

दिनांक -25.01.2020

परिपत्र

निदेशक एम्स रायपुर के अनुमोदन से एम्स आवासीय परिसर के देख रेख के लिये कार्यपालक अभियंता (सिविल) को Estate Officer नामित किया जाता है एवं निम्नानुसार एक Estate Office की स्थापना किया जायेगा :-

1. आवासीय परिसर के रखरखाव में कार्यरत कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी हेतु Estate Officer के द्वारा एक-एक कनिष्ठ अभियंता (सिविल एवं विद्युत) को नामित किया जाएगा।
2. आवासीय परिसर के मकानों का Handing Over & Taking Over कि प्रक्रिया उपरोक्त नामित कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के द्वारा किया जावेगा।
3. आवासीय परिसर के मकानों में लगे विद्युत मीटर की रिडिंग एवं बिल की गणना आदि का कार्य कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) के द्वारा किया जायेगा।
4. एम्स आवासीय परिसर के रखरखाव एवं रोजमर्रा के अतिआवश्यक कार्य हेतु Imprest Money रु 25,000 की राशि Estate Officer को स्वीकृत किया जाता है।
5. Store Use के लिये मकान कं. 101 आबंटित किया जा रहा है जिसमें सिविल एवं विद्युत के रोजमर्रा के रखरखाव कार्य हेतु उपयोग होने वाले समानों को खरीदी करके रखी जावेगी।
6. आवासीय परिसर के टाईप 1 बी भवन के मकान कं. 102 को Estate Office कार्यालय हेतु आबंटित किया जाता है।

पी.दीवान.

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
रायपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपी:-

1. निदेशक, एम्स रायपुर।
2. उपनिदेशक, एम्स रायपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, एम्स रायपुर।
4. लेखाधिकारी एम्स रायपुर, Estate Officer के द्वारा नामित कर्मचारी के नाम पर 25,000 रु Imprest Money जारी करें।
5. कार्यपालन अभियंता, एम्स रायपुर को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. कार्यलयीन प्रति।